कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/विकास/प.6(2-1)2022/22 दिनांक 06 जनवरी, 2023

निमित,

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
सेन्ट्रल जोन बैंच
भोपाल

विषय :- प्रकरण मूल आवेदन संख्या 93/2022 रत्नेश कुमार शर्मा व अन्य बनाम एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.12.2022 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत्

प्रंसंग :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश दिनांक 01.12.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण मूल आवेदन संख्या 93/2022 रत्नेश कुमार शर्मा व अन्य बनाम एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.12.2022 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाबत् आदेश प्रदान किये गये है।
उक्त आदेश की पालना में प्रकरण की संयुक्त जांच प्रतिवेदन संलग्न कर सादर प्रेषित है। उक्त प्रतिवेदन **ngtczbbho-mp@gov.in** पर दिनांक 06.01.2023 को ई-मेल कर दिया गया है।

संलग्न :- उक्तानुसार

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

संयुक्त जांच–प्रतिवदेन

मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के प्रकरण मूल आवेदन संख्या 93/2022 रत्नेश कुमार शर्मा व अन्य बनाम एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.12.2022 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स ग्रीन जीनी एनवायरो प्रोटेक्शन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़ का दिनांक 16.12.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधी भूपेश गुप्ता (यूनिट हेड) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. उद्योग में ठोस तथा तरल प्रकार के परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थो **(Hazardous & Other Waste)** के प्री–प्रासेसिंग **(Pre-processing)** का कार्य किया जाता है। प्री–प्रासेसिंग के पश्चात उत्पाद (परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थो) को सीमेंट उद्योगों को किल्न **(Kiln)** में ईंधन के रुप में जलाने हेतु प्रेषित जाता है। इस प्रकार के उद्योग राज्य मण्डल के उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार लाल श्रेणी में विभक्त है एवं उक्त प्रकार के उद्योगों की सम्मति का निर्णय राज्य मण्डल मुख्यालय स्तर पर लिया जाता है।
2. राज्य मण्डल द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं के तहत इस प्रकार के उद्योग की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता बाबत् दिनांक 18.02.2015 को मण्डल मुख्यालय, जयपुर पर राज्य मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के निर्णय अनुसार उक्त उद्योग न तो परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थो की निस्तारण फेसेलिटी है और ना ही लेंडफिल एवं इन्सीनरेसन फेसेलिटी स्थापित कर रहा है, **इसलिए उक्त उद्योग में ई.आई.ए. अधिसूचना के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है**।
3. उद्योग को राज्य मण्डल मुख्यालय द्वारा वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत स्थापना सम्मति **(Consent to Establish)** दिनांक 04.05.2015 को मैसर्स गेपिल रिसाक्लर्स (राजस्थान) प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई थी जिसकी वैधता दिनांक 30.12.2017 तक थी। स्थापना सम्मति के अनुसार उद्योग की प्रसंस्करण क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष है।
4. तत्पश्चात् उद्योग को राज्य मण्डल मुख्यालय द्वारा वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत स्थापना सम्मति **(Consent to Establish)** दिनांक 25.01.2018 को मैसर्स गुजरात इन्वायरों प्रोटेक्शन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर (डीएनएच) प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पुनः जारी की गई थी जिसकी वैधता दिनांक

31.12.2021 तक थी। स्थापना सम्मति के अनुसार उद्योग की प्रसंस्करण क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष है।

5. उद्योग को राज्य मण्डल मुख्यालय द्वारा वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत संचालन सम्मति (Consent to Operate) दिनांक 25.09.2018 (संशोधित दिनांक 26.02.2020) को जारी की गई थी जिसकी वैधता दिनांक 31.08.2023 तक है। संचालन सम्मति के अनुसार उद्योग की प्रसंस्करण क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष है।
6. उद्योग को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्ध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 एवं संशोधित नियमों के प्रावधानों के तहत प्राधिकार **(Authorization)** राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 25.09.2018 को जारी किया गया था जिसकी वैधता दिनांक 31.08.2023 है।
7. उद्योग को राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्ध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 एवं संशोधित नियमों के प्रावधानों के तहत परिसंकटमय अपशिष्टों के परिवहन हेतु वाहनों के प्राधिकार **(Authorization)** समय-समय पर जारी किये गये है। उद्योग द्वारा प्राधिकार में वर्णित शर्तो के अनुसार ही अधिकृत वाहनों में परिसंकटमय अपशिष्ट का परिवहन किया जा रहा है।
8. उद्योग को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्ध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 एवं संशोधित नियमों के प्रावधानों के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट को प्री-प्रोसेसिंग करने हेतु नियम 9 के तहत पास बुक समय-समय पर राज्य मण्डल द्वारा जारी की जाती है।
9. उद्योग में प्री-प्रोसेसिंग हेतु लाये जाने वाले ठोस तथा तरल प्रकार के परिसंकटमय अपशिष्ट मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से परिवहन किया जाता है।
10. उद्योग द्वारा पृथक-पृथक इकाईयों यथा केमिकल, एग्रों केमिकल, ड्रग्स एण्ड फार्मा, टेक्सटाईल, पेट्रों केमिकल, ऑटो मोबाईल, इंजीनियरीग इत्यादि से प्राप्त ठोस व तरल परिसंकटमय अपशिष्टों को निश्चित अनुपातों में मिक्स किया जाता है तथा उत्पाद (परिसंकटमय अपशिष्ट) को सीमेंट उद्योगों में वैकल्पिक ईधन के रूप में को-प्रोसेसिंग हेतु प्रेषित किया जाता है, जहाँ इनको किल्न में जलाने का कार्य किया जाता है। चूँकि उक्त उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट का प्री-प्रासेसिंग **(Preprocessing)** का कार्य करता है, अतः उक्त परिसंकटमय अपशिष्ट में यदा-कदा दुर्गन्ध **(Odor)** की समस्या रहती है। यह एक ब्लेन्डिंग **(Blending)** इकाई ही है।
11. उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि प्रसंस्करण (प्री-प्रासेसिंग) क्षेत्र में एच.डी.ई. लाईनर बिछाकर सीमेंट कंकरीट फ्लोर बनाया गया है जिससे की भूमिगत जल व मृदा प्रदूषण न हो।
12. उद्योग में परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थो के प्रसंस्करण (प्री-प्रासेसिंग) तथा भण्डारण क्षेत्र पूर्णतया टीनशेड से आवरित है।
13. उद्योग में ठोस परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थो के ब्लेडिंग हेतु लगभग 35 m^3 क्षमता के दो पिट बने है। प्रत्येक पिट के ऊपर ऐयर एक्सट्रेक्शन हुड (फ्यूम एक्सट्रेक्शन हुड) के द्वारा ब्लेडिंग के दौरान निकलने वाली प्रदूषित हवा को खींच कर ड्राई स्क्रबर में ले जाया

जाता है जिसमें एक्टीवेटेट कार्बन फिल्टर लगे हुऐ है। जिसके माध्यम से प्रदूषित हवा में उपस्थित गैस, धूल के कण व गंध को अवशोषित कर आईडी फैन के माध्यम से 30 मीटर उंचाई की चिमनी से उपचारित हवा को बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है।

14. उद्योग में तरल परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थो के ब्लेडिंग हेतु लगभग 550 कि.ली. क्षमता के 7 एम. एस. टैंक स्थापित है। उद्योग में विभिन्न उद्योगों से प्राप्त तरल अपशिष्टों को उक्त एम.एस. टैंकों में भण्डारण किया जाता है। उक्त टैंकों में से 30 कि.ली. क्षमता के टैंक में अलग-अलग टैंकों में से तरल अपशिष्ट को अनूकुलता के आधार पर निश्चित अनुपात में डाला जाता है। जिसको उक्त टैंक में ऐजीटेटर द्वारा मिश्रित किया जाता है। उद्योग मे प्राप्त कुछ अर्द्ध तरल पदार्थो को भी सिग्मा मिक्सर के द्वारा तरल परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थो के टैंको में भण्डारित कर दिया जाता है।

15. तरल परिसंकटमय अपशिष्ट ब्लेडिंग प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली प्रदूषित हवा को ऐयर एक्शट्रेक्शन हुड (फ्यूम एक्शट्रेक्शन हुड) के द्वारा वेट स्क्रबर में ले जाया जाता है। वेट स्क्रबर में 5 प्रतिशत कास्टीक सोडा को स्प्रें किया जाता है, जिसमें प्रदूषित हवा में मौजूद गैस व गंध को कास्टीक सोडा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उपचारित हवा को आईडी फैन के माध्यम से 30 मीटर उंचाई की चिमनी से बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है।

16. उद्योग में प्री-प्रासेसिंग के दौरान अल्पमात्रा में फ्लोर वाशिंग आदि क्रियाकलापों से जनित होने वाले औद्योगिक उच्छिष्ट के परिशोधन हेतु एक 30 के.एल.डी. क्षमता का उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित एवं संचालित है। उद्योग द्वारा उच्छिष्ट उपचार संयंत्र से परिशोधित उच्छिष्ट को पुनः प्रसंस्करण (प्री-प्रासेसिंग) में उपयोग लिया जा रहा है। इकाई द्वारा शून्य उच्छिष्ट निस्त्राव की स्थिति बनाए हुये है।

17. उद्योग के विरुद्ध पूर्व में भी दूर्गन्ध फैलाने की शिकायते प्राप्त होती रही है। उक्त शिकायतों की जांच के पश्चात् समय-समय पर उद्योग को राज्य मण्डल द्वारा नोटिस जारी किये जाते रहे है। जिसके फलस्वरूप उद्योग द्वारा लगातार रुप से दुर्गन्ध नियंत्रण उपकरणों के अद्यतन **(Upgradation)** हेतु कार्यवाही की जाती रही है।

18. राज्य मण्डल से जारी नोटिसों की अनुपालना में उक्त उद्योग द्वारा दूर्गन्ध की समस्या के निराकरण के लिए बाउन्ड्री वॉल पर ओडोर कन्ट्रोल सिस्टम **(Odor Control System)** स्थापित किया गया है जिसकी कुल लम्बाई 700 मीटर है, जिसमें कुल 500 नोजल **(Fogger)** लगाये गये हैं जो कि एक-दूसरे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर स्थापित है। इस सिस्टम के द्वारा विशिष्ट गंध **(ODC)** को स्प्रे किया जाता है जो कि इकाई से जनित दूर्गन्ध को दूर करती है।

19. ओडोर कन्ट्रोल सिस्टम **(Odor Control System)** में विशिष्ट गंध **(ODC)** के रूप में **ODC** 50 एवं फैन्सी फ्रेगरेन्स (मोगरा, गुलाब आदि) का उपयोग किया जाता है। पूर्व में विशिष्ट गंध **(ODC)** के स्प्रे की आवृत्ति प्रातः के समय में 3-4 घंटे तथा सायं के समय में 3-4 घंटे थी। उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि दूर्गन्ध फैलने की शिकायते प्राप्त होने के पश्चात् वर्तमान में उद्योग द्वारा विशिष्ट गंध

(ODC) का स्प्रे निरन्तर दिन व रात के समय (मरम्मत के अतिरिक्त) किया जा रहा है। उद्योग द्वारा इकाई में स्थापित ओडोर कन्ट्रोल सिस्टम में स्प्रे किये जाने वालेविशिष्ट गंध की मात्रा का रिकोर्ड संधारित किया जा रहा है।

20. इसके अतिरिक्त उद्योग द्वारा नवाचार के तहत परिसर के प्रसंस्करण (प्री–प्रासेसिंग) क्षेत्र में दिन में तीन से चार बार गौमुत्र का छिडकाव भी दूर्गन्ध को दूर करने हेतु किया जा रहा जिसमें गौशालाओं से प्राप्त गौमूत्र का छिडकाव सभी प्रसंस्करण (प्री–प्रासेसिंग) क्षेत्र पर तथा संग्रहित किए गए अपशिष्ट पर किया जा रहा है। गौमूत्र की एक विशिष्ट गंध के कारण अपशिष्ट से जनित दूर्गन्ध कम हो जाती है। इकाई को राज्य मण्डल द्वारा नियमित ओ.डी.सी. संचालन तथा गौमूत्र के छिडकाव हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

21. उद्योग द्वारा उद्योग परिसर में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल **(HF)**, मिथाईल मरकेप्टन **(CH4S)**, क्लोरीन **(Chlorine)**, हाईड्रोकार्बन **(HC)** एवं हाईड्रोजन सल्फाईड **(H2S)** इत्यादि के सेंसर उद्योग के विभिन्न प्रसंस्करण (प्री–प्रासेसिंग) क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जो कि मानकों के सीमा से अधिक होने की सूचना देते हैं ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। मानको सें अधिक होने पर तुरंत प्री–प्रासेसिंग (**Pre-processing**) प्रक्रिया रोक दी जाती है जिससे प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली गैसो का कार्यरत कर्मचारियों तथा परिसर के बाहर किसी अन्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नही पडें।

22. राज्य मण्डल द्वारा उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता व ध्वनि के स्तर की जांच दिनांक 12.08.2020, 17.11.2021 व 11.05.2022 को एवं बोरवेल के जल नमूना दिनांक 11.08.2020, 23.06.2021 व 11.05.2022 को एकत्रीकरण व पिजोवेल के जल नमूना दिनांक 11.08.2020 को किया गया। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार परिवेशीय वायु गुणवत्ता व ध्वनि के स्तर मानको के अनुरूप पाये गए है। बोरवेल व पिजोवेल के अधिकतर पैरामीटर मानकों के अनुरूप पाये गये है।

23. उद्योग परिसर के चारों ओर दीवार के सहारे व अन्दर विभिन्न किस्म के पेड–पौधे लगे हुए है। उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया की इकाई द्वारा समय–समय पर आस–पास के क्षेत्र यथा ग्राम पंचायत के क्षेत्र, नेशनल हाइवे व स्कूल इत्यादि पर पौधा–रोपण किया गया है। उद्योग को संचालन सम्मति में निर्देशित किया गया है कि उद्योग के कुल भू–भाग में से 33 प्रतिशत भू–भाग पर पौधारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24. उद्योग परिसर में अलग–अलग स्थानो पर सुरक्षा हेतु अग्निशमन संयत्र स्थापित है।

25. उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि प्रोसेंस क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्मिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.) यथा गलप्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गोगल्स, कारटेच मास्क, हेलमेट, सेफ्टी जैकेट इत्यादि दिये जाते है व कार्मिको द्वारा पी.पी.ई. का उपयोग करने हेतु बाध्यकारी निर्देश दिये गये है।

26. उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दिनांक 04.03.2022 को कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए कारखाना अधिनियम, 1948 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की पालना हेतु उत्कृष्ट कार्य कर मध्यम कारखाना श्रेणी में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

27. उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग द्वारा सभी कार्मिकों को समय-समय पर सुरक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है एवं उद्योग द्वारा 6 माह के अन्तराल पर समस्त कार्मिकों का स्वास्थ्य परिक्षण कराया जाता है।

28. उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग में दूर्गन्ध की समस्या हमेशा नहीं रहती है न ही प्रसंस्करण (प्री-प्रासेसिंग) के दौरान होती है। यदा-कदा किसी विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट के वाहन आने के कारण दुर्गन्ध उत्पन्न होती है। दुर्गन्ध को दूर करने के लिए वाहन पर निश्चित मात्रा में ओ.डी.सी. का छिडकाव किया जाता है जिससे की दुर्गन्ध की समस्या कम हो। उद्योग प्रतिनिधि ने यह भी अवगत कराया कि उद्योग द्वारा इस तरह के अपशिष्टों की पहचान कर भविश्य में इस तरह के अपशिष्ट प्रसंस्करण (प्री-प्रासेसिंग) हेतु उद्योग में लाया जाना बन्द कर दिया जाता है।

29. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के निर्देशानुसार उक्त उद्योग का संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 16.12.2022 को किया गया। मौका निरीक्षण दिनांक से पूर्व ही क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2022 को परिवेशीय वायु गुणवत्ता, ध्वनि के स्तर एवं बोरवेल व पिजोवेल के जल की जांच हेतु नमूनो का एकत्रीकरण किया गया। उक्त सभी नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट परिवेशीय वायु गुणवत्ता, ध्वनि के स्तर व भू-जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाये गए है। (विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न)

30. उद्योग के विरूद्व पूर्व में भी आस-पास के गांवों के निवासीयों द्वारा प्रदूषण तथा दुर्गन्ध फैलाने से सम्बधित माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे डी.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 6315/2021 सुरेश चन्द्र भाम्बी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य दायर की गई थी। उक्त रिट पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.10.2021 द्वारा खारीज किया गया है।

31. उद्योग द्वारा क्षेत्र में प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार से शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत की जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी कपासन, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल चित्तौड़गढ़ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं वरिष्ठ पुश चिकित्साधिकारी कपासन से कराई गई। उक्त शिकायत के संबंध में जांच अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराये जाने पर कोई कार्यवाही अपेक्षित होना नहीं अवगत कराया गया है।

–: जांच दल अभिमत :–

इस उद्योग के विरूद्ध आस–पास के ग्रामवासियान एवं अन्य द्वारा विगत 3 वर्षो में क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल चित्तौड़गढ़ को विभिन्न माध्यमों यथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, जनसुनवाई, मुख्यमंत्री कार्यालय व व्यक्तिगत रूप लगभग 50 से अधिक शिकायते प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया है कि उक्त उद्योग शून्य उच्छिष्ट निस्त्राव **(Zero liquid discharge)** की स्थिति बनाए हुये है। उद्योग में पर्याप्त जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित किये हुये है। दुर्गन्ध के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं है फिर भी उद्योग परिसर में दुर्गन्ध रोकने हेतु ऑडर कन्ट्रोल सिस्टम भी स्थापित होकर संचालित है। प्रतिवर्ष 2 बार राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा परिवेशीय वायु **(Ambient air)** ध्वनि स्तर **(Noise level)** तथा भू–जल **(Ground water)** नमूने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल गाईडलाईन के अनुसार लिये जाते है। यदि इनमें कोई भी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की गाईडलाईन का उल्लंघन पाया जाता है तो उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। इस प्रकरण में वायु एवं जल प्रदूषण के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन जांच उपरांत नहीं पाया गया है। इसके साथ ही हाल ही में जिला कलक्टर कार्यालय में भी सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से 5 शिकायत प्राप्त हुई है। उद्योग के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विभिन्न विभागों यथा राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अनवरत रूप से जांच/अनुसंधान किया गया है। इन विभागों/अधिकारियों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या पशुधन को कोई हानि होना जाहिर नहीं होता है। अतः समय–समय पर की जा रही शिकायतों एवं जांच रिपोर्ट से शिकायतों का निराधार होना पाया जाता रहा है, जिससे ऐसा उभर कर आता है कि उद्योग के विरूद्ध होने वाली शिकायतें उद्यमी को हतोत्साहित किये जाने की भावना से की जा रही है, जिससे सरकारी संसाधनों का समय बर्बाद होता है एवं उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात/जांच रिपोर्ट/परिपत्र के अवलोकन/परिशीलन से ऐसा कोई ठोस तथ्य उभर कर नहीं आता है, जिससे की उक्त उद्योग के संचालन के संबंध में छिद्रान्वेषण अनुसंधान की आवश्यकता हो। वर्तमान में उद्योग राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वैध संचालन सम्मति (Consent to Operate) तथा प्राधिकार (Authorization) प्राप्त कर संचालित है।

(डॉ. गिरिराज कुमार सोनगरा) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रा.प्र.नि.मं., चित्तौडगढ़	(आशीष कुमार बौरासी) क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.मं., चित्तौडगढ़	(अरविंद कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर चित्तौडगढ़

☎ 01472-255077

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh

RPCB/ROC/Chittorgarh/Lab-09/2022-23/ 1471 **Date :** 21.12.22

Group Incharge (HSW)

Rajasthan Pollution Control Board,

Jaipur

Sub.:- Regarding Water sample analysis report of lab sample no. 846-847 of M/s Green Gene Enviro Protection and Infrastructure Private Limited, Near toll Plaza, village Singhpur, Tehsil Kapasan, District- Chittorgarh

Sir

With reference to above, please find enclosed herewith the Water sample analysis report of lab sample no. 846-847 of M/s Green Gene Enviro Protection and Infrastructure Private Limited, Near toll Plaza, village Singhpur, Tehsil Kapasan, District- Chittorgarh for perusal and further necessary action.

Yours Sincerely,

Encl.:- As above.

Sd/-
(Dr. G. K. Songara)
Lab Incharge

Copy to

1. Regional Officer, Rajasthan Pollution Control Board, Chittorgarh
2. Unit Head, M/s Green Gene Enviro Protection and Infrastructure Private Limited, Near toll Plaza, village Singhpur, Tehsil Kapasan, District- Chittorgarh

Lab Incharge

22/12/22
SSO

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़
1342
22.12.22

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 24)
Final Report

Report No. : **846**
Report On : **21/12/2022**

I hereby certify that I **Dr Giriraj Kumar Songara**, State Board Analyst duly appointed **under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974** received on the **15/12/2022** from **Bhupendra Kumar Soni, SO, Chittorgarh ,RSPCB Chittorgarh** a sample of Water of **M/S GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED , Plant - GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED [90319] ,2709,2710,2711,2712,3858/2709 Near Toll Plaza, , City-Singhpur Tehsil- Kapasan , District- Chittorgarh** Collected from **Borewell near Security Gate of the unit** Collected on 14/12/2022. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on **21/12/2022** and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	pH	6.88
2	Total Suspended Solids mg/l	7
3	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l	24
4	Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3days at 27° C) mg/l	5.8
5	Chloride as Cl mg/l	244
6	Sulphate as SO_4 mg/l	65
7	Hardness (Total) as $CaCO_3$ mg/l	568
8	Hardness (Calcium) as $CaCO_3$ mg/l	312
9	Magnesium Hardness as $CaCO_3$ mg/l	256
10	Calcium (Titrimetric) as Ca mg/l	125
11	Magnesium as Mg mg/l	62
12	Fluoride as F mg/l	1.28
13	Total Dissolved Solids mg/l	1134
14	Conductivity at 25° C µmho/cm_2	1620
15	Total Alkalinity as $CaCO_3$ mg/l	224

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**
Signed This On **21/12/2022**

BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office Chittorgarh
Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh
Phone:01472-255077

FORM - X

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST

(See Rule - 24)

Final Report

Report No. : **847**
Report On : **21/12/2022**

I hereby certify that I **Dr Giriraj Kumar Songara**, State Board Analyst duly appointed **under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974** received on the **15/12/2022** from **Bhupendra Kumar Soni, SO, Chittorgarh ,RSPCB Chittorgarh** a sample of **Water** of **M/S GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED , Plant - GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED [90319] ,2709,2710,2711,2712,3858/2709 Near Toll Plaza, , City-Singhpur** Tehsil- **Kapasan , District- Chittorgarh** Collected from **Piezometric well near Security Gate of the unit** Collected on 14/12/2022. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on **21/12/2022** and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	pH	6.97
2	Total Suspended Solids mg/l	5
3	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l	12
4	Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3days at 27° C) mg/l	2.7
5	Chloride as Cl mg/l	228
6	Sulphate as SO_4 mg/l	45
7	Hardness (Total) as $CaCO_3$ mg/l	552
8	Hardness (Calcium) as $CaCO_3$ mg/l	284
9	Magnesium Hardness as $CaCO_3$ mg/l	268
10	Calcium (Titrimetric) as Ca mg/l	114
11	Magnesium as Mg mg/l	65
12	Fluoride as F mg/l	1.11
13	Total Dissolved Solids mg/l	1160
14	Conductivity at 25° C μmho/cm_2	1657
15	Total Alkalinity as $CaCO_3$ mg/l	232

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**

Signed This On **21/12/2022**

BOARD ANALYST
Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office Chittorgarh
Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh
Phone:01472-255077

☎ 01472-255077

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh

RPCB/ROC/Chittorgarh/Lab-16/2022-23/1480 **Date :** 21.12.22

The Group Incharge (CPP), HSW

Rajasthan Pollution Control Board,

Jaipur

Sub.:- Regarding Ambient Noise & Air Monitoring report of lab sample No.-6421-6422 & 6425-6426 of M/s Green Gene Enviro Protection and Infrastructure Private Limited, Near toll Plaza, village Singhpur, Tehsil Kapasan, District- Chittorgarh

Sir,

With reference to above cited subject, please find enclosed herewith the Ambient Noise & Air Monitoring report of lab sample No.-6421-6422 & 6425-6426 of M/s Green Gene Enviro Protection and Infrastructure Private Limited, Near toll Plaza, village Singhpur, Tehsil Kapasan, District- Chittorgarh for further necessary action please.

Yours Sincerely,

Encl.:- As above.

Sd/-

(Dr. G. K. Songara)

Lab Incharge

Copy to

1. Regional Officer, Rajasthan Pollution Control Board, Chittorgarh
2. Unit Head, M/s Green Gene Enviro Protection and Infrastructure Private Limited, Near toll Plaza, village Singhpur, Tehsil Kapasan, District- Chittorgarh

22/12/22

SSO

Lab Incharge

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल चित्तौड़गढ़

1343

22.12.22

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur (Raj.) - 302 004
Result of Ambient Noise Level Monitoring

DATE OF RECEIPT : 15/12/2022
MONITORED BY : Bhupendra Kumar Soni, SO, Chittorgarh

S.No.	Lab Sample No	Name of Industry / Place	Point of Collection / Location	Date of Monitoring	Noise Level In Day Time(Leq dB(A))	Noise Level In Night Time(Leq dB(A))
1	6421	GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED,Near Toll Naka Village- Singhpur, Tech-Kapasan,District- ChittorgarhSinghpur Tehsil:Kapasan District:Chittorgarh	Ambient Noise Monitoring near Security Gate	14/12/2022	59.4	ND

BOARD ANALYST
Rajasthan State Pollution Control Board

* ND = Not Done

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur (Raj.) - 302 004
Result of Ambient Noise Level Monitoring

DATE OF RECEIPT : 15/12/2022
MONITORED BY : Bhupendra Kumar Soni, SO, Chittorgarh

S.No.	Lab Sample No	Name of Industry / Place	Point of Collection / Location	Date of Monitoring	Noise Level In Day Time(Leq dB(A))	Noise Level In Night Time(Leq dB(A))
1	6422	GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED,Near Toll Naka Village- Singhpur, Tech-Kapasan,District- ChittorgarhSinghpur Tehsil:Kapasan District:Chittorgarh	Ambient Noise Monitoring near ETP of the unit	14/12/2022	63	ND

BOARD ANALYST
Rajasthan State Pollution Control Board

* ND = Not Done

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 10)

Final Report

Report No. : **6425**

Report On : **21/12/2022**

I hereby certify that I **Dr Giriraj Kumar Songara**, State Board Analyst duly appointed **under sub Section(2) of Section 29 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981** received on the **15/12/2022** from **Bhupendra Kumar Soni, SO, Chittorgarh ,RSPCB Chittorgarh** a sample of **Ambient Air Quality of M/S GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED , Plant - GEPIL [90319] ,Near Toll Naka Village-Singhpur, Tech-Kapasan,District- Chittorgarh , City- Singhpur Tehsil- Kapasan , District- Chittorgarh** Collected from **Ambient Air Quality Monitoring near security gate (Main Gate)** Collected on **14/12/2022**. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on **21/12/2022** and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	Nitrogen Dioxide as NO2 µg/M3	24
2	Particulate Matter (PM10) µg/m3	95
3	Sulphur Dioxide as SO2 ug/m3	7.0

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**

Signed This On **21/12/2022**

BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board

Regional Office Chittorgarh

Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh

Phone:01472-255077

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 10)

Final Report

Report No. : **6426**

Report On : **21/12/2022**

I hereby certify that I **Dr Giriraj Kumar Songara**, State Board Analyst duly appointed **under sub Section(2) of Section 29 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981** received on the **15/12/2022** from **Bhupendra Kumar Soni, SO, Chittorgarh ,RSPCB Chittorgarh** a sample of **Ambient Air Quality** of **M/S GREEN GENE ENVIRO PROTECTION AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED , Plant - GEPIL [90319] ,Near Toll Naka Village-Singhpur, Tech-Kapasan,District- Chittorgarh , City- Singhpur Tehsil- Kapasan , District- Chittorgarh** Collected from **Ambient Air Quality Monitoring near ETP of the unit** Collected on **14/12/2022**. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on **21/12/2022** and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	Nitrogen Dioxide as NO2 µg/M3	21.0
2	Particulate Matter (PM10) µg/m3	86
3	Sulphur Dioxide as SO2 ug/m3	9.1

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**

Signed This On **21/12/2022**

BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board

Regional Office Chittorgarh

Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh

Phone:01472-255077